सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 1 के अर्न्तगत

प्रपत्र एक

1. आवेदक का नाम **मनोज कुमार**

2. पता जिस पर जानकारी प्रेषित की जानी हैं:– **मनोज कुमार द्वारा त्रिमूर्ति सेल्स कारपोरेशन, 107 पुरानी धान मण्डी, श्रीगंगानगर, राजस्थान।**

3. दूरभाष

4. आवेदन देने की दिनांक **11.06.2015**

5. कार्यालय का नाम GAIL INDIA Ltd New Delhi

6. चाही गई जानकारी का विवरण

1 आपके विभाग द्वारा कौन–कौन से लघु व दीर्घ स्तर के तकनीकी ज्ञान, कौशल ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान व अन्य पर आधारित पाठ्यकम या सेमिनार/कार्यकम करवाए जा रहे है की पूरी जानकारी देवें।

2 बिन्दु संख्या 1 के कार्यकम को चलाने के लिए कौन सी संस्थाए मान्य है व उनकी क्या योग्यता है, संस्था को कोई मान्यता की आवश्यकता है तो इसका क्या नियम है कि पूरी जानकारी देवें।

3. उपरोक्त के अतिरिक्त क्या–क्या योजनाए चलाई जा रही, पूरी जानकारी देवें, उपरोक्त पाठ्यकमों को करने के लिए अभ्यर्थी की क्या योग्यता होनी चाहिए व क्या शुल्क है,

4. यदि छात्रवृत्ति लेने के लिए आवेदनकर्त्ता द्वारा आवेदन करते समय कोई कमी रह जाती है या स्लंगन दस्तावेजों को स्कैन करते समय कोई कमी रहने पर उख्से पूरा करने का क्या नियम हैं व उसे कब तक पूरा किया जा सकता हैं, पूरी जानकारी देवें।

5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, सामान्य वर्ग, विकलांग, अल्पसंख्यक, प्रतिभावान, बी पर एल खेलो में रूचि रखने वाले व सामान्य वर्ग के छात्र व छात्राओं आदि के लिए आई टी आई करने पर छात्रवृत्ति देने का क्या प्रावधान है, कितनी राशि दी जाती हैं, इसे प्राप्त करने के लिए कौन–2 योग्य हैं, पूरी जानकारी देवें।

6. आपके द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए विभाग के नियमों की जानकारी जनहित के लिए विभिन्न माध्यमों के द्वारा जैसे फलैक्स, पम्फलैट, सेमिनार, नाटक आदि द्वारा देना चाहे तो क्या आपका विभाग किसी एन जी ओ के साथ काम कर सकता है, पूरी जानकारी नियम सहित देवें।

7. आपके द्वारा सी एस आर के अर्न्तगत किस क्षेत्र में काम किया जा रहा है व उक्त कार्यो के लिए क्या एन जी ओ के साथ काम किया जा सकता हैं, पूरी जानकारी देवें।

8. विभाग से कोई भी सूचना मेरे ईमेंल आई डी पर या सीडी में सॉफ्ट कोपी के रूप में भेजने के लिए क्या नियम है, पूरी जानकारी देवें।

9. यदि आप उक्त सूचनाए नही दे सकते तो बताए कि उक्त जानकारी किससे प्राप्त होगी व आप अपीलिय सूचना अधिकारी की पूरी जानकारी देवें, विभागीय वेबसाइट बताए।

10. यदि उक्त सूचनाएँ आपके पास नहीं है तो भी आप संबधित कार्यालय से सूचना एकत्र कर भेजें व पत्र की पावती भिजवाऐ।

7. **रिकार्ड/सूचना की प्रमाणित प्रति चाहिए**
8. **10 रू प्रोसेस फीस बीपीएल को देय नहीं हैं**
9. **आवेदक गरीबी रेखा से नीचे है व बीपीएल न. 166 हैं, प्रति स्लंगन हैं।**

हस्ताक्षर
आवेदन कर्ता

बीपीएल को डाक व्यय देय नही है इसलिए डाक टिकट युक्त लिफाफा नहीं भेजा जा रहा है।

पावती

1. आवेदन प्राप्त होने की दिनांक .....
2. आवेदन कर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु स्थापित होने की दिनांक .....
3. संबंधित शाखा अधिकारी जहा से सूचना प्राप्त होगी .....

लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राधिकृत

दिनांक.....

OFFICE OF
Central Public Information Officer
GAIL (India) Limited
16, Bhikaiji Cama Place
New Delhi-66
DY. NO. 3485 DT. 11/06/15
29/06/15

पदनाम
रबड सील

श्री मनोज कुमार द्वारा अपेक्षित आरटीआई उत्तर

1. गेल का निगमित सामाजिक दायित्व विभाग समाज के लिए कई सीएसआर परियोजनाएं चला रहा है। इसके अंतर्गत समाज के पिछड़े वर्ग के लिए अल्पावधि का कौशल प्रशिक्षण तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इस क्षेत्र की कुछ परियोजनाओं के बारे में यहां नीचे बताया गया है:

   (क) गेल ने आईएल एंड एफएस स्किल डेवलेपमेंट कार्पोरेशन के साथ मिल कर गुना (मध्य प्रदेश), डेडियापाड़ा (गुजरात) एवं नगरम (आन्ध्र प्रदेश) में 03 कौशल विद्यालय चला रहा है जहां विभिन्न ट्रेड जैसे कि खुदरा (बिक्री), हांस्पिटेलिटी प्रबंधन, बीपीओ एसोशिएट्स, वेल्डिंग/फिटिंग/चिनाई आदि कार्यों की नौकरी से जुड़ी हुई कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है।

   (ख) सेंट्रल इंस्टीट्यूट के ऑफ प्लास्टिक्स एंड टेक्नालॉजी (सीआईपीईटी), अहमदाबाद के माध्यम से पिछड़े वर्ग को प्लास्टिक उद्योग से संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

   (ग) अक्षमता वाले व्यक्तियों को हैंडीक्राफ्ट्स, कढ़ाई कार्य, ब्यूटीशियन, सिलाई, मरम्मत-अनुरक्षण, खाद्य प्रसंस्करण, खुदरा-बिक्री प्रबंधन आदि क्षेत्रों में भारत के 18 राज्यों के 50 जिलों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह नेशनल हैंडीकेप्पड फाइनेंस एंड डेवलप कार्पोरेशन के साथ मिलकर किया जाता है।

   (घ) असम एवं त्रिपुरा राज्य में महिला सफाई कर्मचारियों को नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट निगम के साथ मिल कर बीपीओ/नॉन वाइस कौशल जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

2. कार्यान्वयन एजेंसियों का चयन गेल सीएसआर नीति के प्रचालनगत दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार किया जाता है जोकि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार है।

3. ऐसी परियोजनाओं के हितलाभार्थियों का चयन कार्यान्वयन कर रही एजेंसियों/एनजीओ द्वारा अभ्यार्थियों की समाजिक- आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर किया जाता है। इसमें महिलाओं, अ.जा./अ.ज.जा. एवं अन्य पिछड़े वर्ग के नियत प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा जाता है।

4. गेल की भलीभांति बनाई गई गेल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति योग्यता सह आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना गेल धर्मार्थ एवं शिक्षा ट्रस्ट के माध्यम से प्रचलन में है। गेल छात्रवृत्ति योजना को गेल वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। योजना की किसी धारा का अनुपालन न करने या दस्तावेजों के उपलब्ध न होने पर छात्रवृत्ति के ऐसे अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

5. यह आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एफ) के अंतर्गत सूचना नहीं है।

6. यह सूचना सीएसआर गतिविधियों से संबंधित सूचना है और यह गेल वेबसाइट पर उपलब्ध है। सीएसआर गतिविधियों के विज्ञापन के उद्देश्य से किसी एनजीओ के साथ भागीदारी नहीं की गई है।

7. गेल कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची- VII में यथा वर्गनानुसार फोकस क्षेत्र के अनुरूप गेल सीएसआर गतिविधियों को निष्पादित कर रहा है।

8. गेल आरटीआई कक्ष द्वारा संबंधितों को आरटीआई जवाब भेजे जाते हैं।

9. लागू नहीं

10. लागू नहीं

RTI reply to information sought by Sh. Manoj Kumar

1. GAIL CSR Department is supporting various CSR projects for the community under which short-term skill trainings and behavioural trainings are provided to underprivileged section of society. Some of the projects in this domain are given below:
   a) GAIL in partnership with *IL&FS Skills Development Corporation* is operating 03 skill schools at Guna (M.P.), Dediapada (Gujarat) and Nagaram (Andhra Pradesh) where job linked skills training is provided in various trades such as retail/sales, hospitality management, BPO associates, welding/fitting/masonry etc.
   b) Training is provided in Plastic industry related trades to beneficiaries from the underprivileged through *Central Institute of Plastics Engineering and Technology (CIPET)*, Ahmedabad.
   c) Skill Training provided to Persons with Disabilities in trades like handicrafts, embroidery work, beautician, tailoring, repair-maintenance, food processing, retails - sales management etc. across 50 districts of 18 states of India in partnership with *National Handicapped Finance and Development Corporation*
   d) Training is given to Safai Karamchari women in states of Assam and Tripura in BPO/Non Voice skill in partnership with *National Safai Karamchari Finance and Development Corporation*

2. Criteria for selection of implementing agencies are provisioned in Operating guidelines to GAIL CSR Policy which are in alignment to the Companies Act 2013. (details enclosed as Annexure 1)

3. The beneficiaries for such projects are selected by the implementing agencies/NGOs on basis of socio-economic background of the candidates ensuring due representation to women, SC/ST and other backward category.

4. Scholarship is provided on merit cum means basis to students in terms of a well-structured GAIL Scholarship Scheme which is in operation through GAIL Charitable & Education Trust. (GAIL Scholarship scheme is available on GAIL website). In case of non-adherence to any clause of the scheme or unavailability of any documents, such request of scholarship gets rejected.

5. This is not information as defined under section 2(f) of RTI Act 2005.

6. The information pertaining to CSR activities are available on GAIL's website. GAIL is not partnering with any NGO for the purpose of any advertisement of CSR activities.

7. GAIL is undertaking CSR activities as per the focus areas mentioned in Schedule VII of the Companies Act 2013.

8. RTI replies are sent to the concerned addressee by GAIL's RTI Cell.

9. NA.

10. NA

Annexure-1

CRITERIA FOR SELETION OF IMPLEMENTING PARTNER - IN CASE OF VO/NGO/ Company/Section 8 Company	
1	The Applicant should be a legally registered organization under Societies Registration Act,1860 or Indian Trusts Act, 1882 or Section 25 or Section 08 Company
2	The agency should have a permanent office address in India
2	The agency should be registered for a period of minimum three years as on date of submission of their application to GAIL (India) Limited.
3	The agency should have undertaken CSR/social projects Activities with Central/State Governments/PSUs- (Completed projects and on-going projects to be counted)
4	The agency should have regional offices/ establishments in the state where the project is proposed.
5	The agency should have achieved/ won some award/Appreciation in respect of services extended to various organizations in respect of their CSR/social activities.
6	Preference should be given to organizations who have eminent social personalities on their list of promoters/advisory boards.
7	The agency should have partnered with an International organization/organizations of International repute for a CSR /social projects
8	No member on the Board of the agency has any criminal proceeding going on in any court in India
9	IA should not have any conflict of interest with GAIL Board members, the advisors or even management personnel within the company.
10	The agency should not have been blacklisted by any funding body/partner organization in India.
11	In case of procurement of items such as Solar lights, Solar Water pumps, Lanterns etc., benchmarking should be done with DGS & D rates (if applicable) and the projects should preferably be executed through a Govt. Agency
12	In case of items such as hand pumps, Bore wells., the rates should be benchmarked against the applicable rates of the state govt./central govt. agencies/departments and the projects should preferably be executed through a Govt. Agency
13	In cases of programmes or projects focussed on Skill Development, Education or any other soft skills, the implementing agency should be empanelled/registered with any Ministry or Govt. Department like NIOS , AICTE, IGNOU or any reputed University / institution for undertaking such projects.
14	In case of programmes focussed on Skill Development for wage employment, the courses should be accredited by National level bodies such as ATDC, NCVT, NSDC etc.
15	In case of projects involving construction activities, govt. rates should apply and the projects should preferably be executed through a Govt. Agency